राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(3)एम.ई./ग्रुप–1/13

जयपुर, दिनांकः 20 OCT 2020

आदेश

इस विभाग के पत्र क्रमांक 1(32)एम.ई./ग्रुप–1/2014 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा कार्मिक (क–2) विभाग की राय के आधार पर डॉ. श्रीगोपाल, सहायक आचार्य, मनोरोग की नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि 13.04.2014 के स्थान पर दिनांक 06.03.2014 मानी गई थी। प्रकरण में कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा उनके आई.डी. संख्या 841/डीओपी/ए–2/2020 दिनांक 19.10.2020 द्वारा प्रदत्त राय के अनुसार "डॉ. श्रीगोपाल द्वारा दिनांक 09.04.2014 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली में अस्थाई प्रोजेक्ट में कार्य किया गया है। अतः कार्यग्रहण हेतु दुबारा अनुमति मिलने पर वास्तविक कार्यग्रहण तिथि दिनांक 13.04.2014 को कार्यग्रहण तिथि मानते हुए सेवा अवधि की गणना की जानी चाहिए।"

अतः उक्त के आधार पर प्रासंगिक प्रकरण में पूर्व में जारी पत्र दिनांक 13.03.2020 को प्रत्याहरित करते हुए डॉ. श्रीगोपाल की नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण दिनांक 06.03.2014 के स्थान पर दिनांक 13.04.2014 मानी जाती है।

आज्ञा से,

20/10/2020

(सुनील शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।।
4. डॉ. श्रीगोपाल, सहायक आचार्य, मनोरोग मार्फत पीएमसी बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।

20.10.2020

(रमेश चन्द्र आर्य)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner